राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./2337/2003/अलवर

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, बानसूर, जिला अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

शंकर पुत्र हीरा, जाति गूजर, निवासी ग्राम झगडोतकलॉ, तहसील बानसूर, जिला अलवर।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्रीमती पूनम माथुर अति0राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमाधव राज सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 07.08.2019

1– हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 216/2001 शीर्षक शंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के समक्ष इस आशय का पेश किया ग्राम झगडोतकलॉ, तहसील बानसूर स्थित आराजी खसरा नम्बर साबिक 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा का था और खसरा नम्बर साबिक 170 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं। उक्त साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा पर वादी के पिता हीरा का जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त चलता आ रहा है। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद अब वादी का कब्जा काश्त है और उक्त भूमि में एक पुख्ता चाह भी वादी द्वारा निर्माण की गई है। दौराने भू प्रबन्ध उक्त आराजी को गलत प्रकार से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। वादी का कब्जा 12 साल से अधिक पुराना होने से वादी उक्त आराजी में 3 बीघा पर खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अतः दावा वादी डिक्री कर हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया कि वादी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है और

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके के अनुसार बिना कब्जे की भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है। वादीगण का मौके पर कब्जा नहीं होने से दावा खारिज किया जाये। सहायक कलक्टर, बानसूर ने निर्णय दिनांक 6–7–2001 से वादी का वाद खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 216/2001 शीर्षक शंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2002 से अपील को स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष राज्य पक्ष द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा पर वादी के पिता हीरा का जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त चलता आना बताते हुये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 170 मिन से कायम किया गया है और जमाबंदी सम्वत् 2018 के अनुसार यह भूमि गै0मु0 नदी नाले की अंकित है। गै0मु0 नदी नाले की भूमि पर राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत रुप से विवेचन करते हुये स्पष्ट अभिमत पारित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 170 पर वादी या उसके पिता का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से अभिमत पारित करते हुये अपील स्वीकार कर वादी के पक्ष में खातेदारी घोषणा प्रदान की है। जमाबंदी सम्वत् 2014–17 में आराजी खुदकाश्त मकबूजा मालकान अंकित रही है और गै0मु0 नाला अंकित है। जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के तहत उन्हीं विश्वेदार या जागीरदार को खातेदारी प्राप्त हो सकती है जो कि खुदकाश्त तथा बिश्वेदार अंकित रहे हों किन्तु वादी के पक्ष में रेकार्ड में इस आशय के अंकन नहीं रहे हैं। गै0मु0 नदी–नाले की भूमि रही है और माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच तक से यह निर्णित हो चुका है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से विवेचन करते हुये, आदेश 41 नियम 31, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अनुपालना किये बिना ही अपील स्वीकार कर वाद को डिक्री किया है और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को गलत प्रकार से खारिज किया है। अन्त में योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा का था और खसरा नम्बर साबिक 170 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं। उक्त साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा पर वादी के पिता हीरा का जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त चलता आ रहा है। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद अब वादी का कब्जा काश्त है, दौराने भू प्रबन्ध उक्त आराजी को गलत प्रकार से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। परीक्षण न्यायालय ने गलत प्रकार से वादी के वाद को खारिज किया था जिसके विरुद्ध की गई अपील को स्वीकार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने

किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि पूर्व में आराजी वादी के पिता के कब्जे काश्त की रही है जिसकी पुष्टि के लिये पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2014–17, 2011–13, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18 प्रस्तुत की गई है और मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2029–30, 2043 भी प्रस्तुत की गई है। इन सभी से ये स्पष्ट हो जाता है कि वादी का आराजी पर पुराना कब्जा काश्त रहा है और आराजी गै0मु0 नदी–नाले की नहीं रही है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादी की अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर वादी के वाद को डिक्री करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 170 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं। उक्त साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा पर वादी के पिता हीरा का जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त चलता आ रहा है। वादीगण के पिता के फौत होने के बाद अब वादी का कब्जा काश्त है और उक्त भूमि में एक पुख्ता चाह भी वादी द्वारा निर्माण की गई है। दौराने भू प्रबन्ध उक्त आराजी को गलत प्रकार से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। वादी का कब्जा 12 साल से अधिक पुराना होने से वादी उक्त आराजी में 3 बीघा पर खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर ने वादी के वाद संख्या 10/93 को इस आधार पर खारिज किया है कि वादी का पुराना कब्जा साबित नहीं है और यह आराजी पुराने रिकार्ड में गै0मु0 नाला की दर्ज है जिस पर अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित रकबा 3 बीघा अपीलार्थी के पिता के कब्जा काश्त की भूमि रही है और भू प्रबन्ध विभाग ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से सिवाय चक दर्ज किया है, राजस्व अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य से वादी की अपील को प्रमाणित होना मानते हुये अपील स्वीकार कर 3 बीघा पर भूमि पर वादी के पक्ष में खातेदारी डिक्री दिनांक 13–09–2002 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रदान की है।

8– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के परीक्षण से पुष्ट होता है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.1 खसरा नम्बर साबिक 170 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं। जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत् 2018 में साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा नदिया एवं नाले की भूमि अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2011–13 में साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा गै0मु0 नाला अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18 में भी प्रश्नगत खसरा नम्बर 170 गै0मु0 नाला अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही गै0मु0 नाले की भूमि अंकित रही है और राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार गै0मु0 नदी–नाले की भूमि पर किसी के पक्ष में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से जो जबाबदावा प्रस्तुत किया है

उसमें भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि "भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके के अनुसार बिना कब्जे की भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है। यह भूमि पहले भी गै0मु0 नाला के रुप में रिकार्ड में दर्ज थी, मौके पर काबिल काश्त नहीं है, इसलिये मौके पर वादी का कब्जा नहीं होने से मौका अनुसार सही प्रकार से अंकन किए गए हैं"। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम करते हुए विस्तृत विवेचन उपरान्त विधिक परिप्रेक्ष्य में वादी के वादी को खारिज किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाते हुये, आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही अपील स्वीकार कर वादी के पक्ष में 3 बीघा गै0मु0 नदी–नाले की भूमि पर खातेदारी प्रदान की है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रुप से अवैधानिकता होने से यह अपील **स्वीकार** की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 216/2001 शीर्षक शंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2002 को निरस्त किया जाता है और सहायक कलक्टर, बानसूर द्वारा वाद संख्या 10/93 शीर्षक शंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष